उत्तराखण्ड वन विकास निगम

कार्यालय- प्रभागीय प्रबन्धक खनन रामनगर

आमडण्डा डिपो परिसर रामनगर जिला-नैनीताल पिन-244715

मेल:- prabharikhanan37@gmail.com

जिप्सी सं0– UA07T-8197 के क्रय हेतु निविदा फार्म

निविदा शुल्क :– 590.00(पांच सौ नब्बे मात्र)ड्राफ्ट द्वारा

निविदा फार्म संख्याः–

1.निविदादाता का नाम – ....

2.पिता का नाम – ....

3.पूरा पता (स्थाई पता)– ....

....

....

4.पैन– ....

5.मोबाईल नं0– ....

6.दूरभाष नं0– ....

7.नेक जमानत राशि हेतु बंधक राशि का विवरण–

एफ0डी0आर0 संख्या ....

दिनांक– ....

धनराशि(अंको में) ....

धनराशि(शब्दों में) ....

बैंक का नाम ....

शाखा ....

8.वाहन क्रय हेतु प्रस्तुत निविदा रू0 में (नोट–18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगी)–

अंकों में रू0– ....

शब्दों में रू0– ....

मेरे /हमारे द्वारा उक्त वाहन के क्रय हेतु वाहन का भली–भॉती मौके पर निरीक्षण कर लिया गया है। निविदा शर्ते भली–भांति पढ़ ली गयी है/समझ ली गयी है,जो मुझे मान्य हैएंव हस्तांतरित है। उपरोक्तानुसार भरी निविदा प्रस्तुत है।

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

निविदादाता का नाम ....

निविदादाता का पूरा नाम ....

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड वन विकास निगम
कार्यालय- प्रभागीय प्रबन्धक खनन रामनगर
आमडण्डा डिपो परिसर रामनगर जिला-नैनीताल पिन-244715
मेल:- prabharikhanan37@gmail.com

निविदा शर्ते

1. निविदा भेजने हेतु पता–कार्यालय प्रभागीय प्रबन्धक खनन उत्तराखण्ड वन विकास निगम आमडण्डा डिपो परिसर रामनगर नैनीताल पिन–244715।निर्धारित समय तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से निर्धारित फार्म में इस कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए, जो निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित होनी आवश्यक है। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जाएगा।दस्ती निविदा स्वीकार्य नहीं है।निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जानी है। लिफाफे के ऊपर "जिप्सी सं0–UA07T-8197 क्रय हेतु निविदा" लिखा होना आवश्यक है।

2. जिप्सी जहां है जैसी है के आधार पर विक्रय की जानी है, वाहन खनन कार्यालय के प्रांगण में खड़ा हैं।अतः निविदादाता द्वारा वाहन का भली–भांति निरीक्षण कर लिया जाय, तदपरान्त ही निविदा प्रस्तुत की जाय।निविदा जमा करने के उपरान्त कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।

3. जिप्सी हेतु दी गई गयी निविदा के साथ नेक जमानत हेतु रू0–10000.00(दस हजार रू0 मात्र) की किसी राष्ट्रीकृत बैंक की एफ0डी0आर0 जो प्रभागीय प्रबन्धक खनन रामनगर के पदनाम बन्धक हो संलग्न किया जाना अनिवार्य है।बिना जमानत के निविदा अस्वीकार्य है।

4.निविदा निर्धारित फार्म में प्रस्तुत की जानी है। निविदा मूल्य अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित किया जाय 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 निविदा मूल्य के अतिरिक्त देय होगी। अस्पष्ट लिखावट/ओवर राईटिंग मान्य नही है।

5. निविदा के साथ निविदादाता का वैध पहचान पत्र (आधार) एवं पैन कार्ड की छायप्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न करना आवश्यक है।

6. उच्चतम निविदा का अनुमोदन सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाएगा इस कार्यालय से निविदा स्वीकृत /अनुमोदन जारी होने के 15 दिन के भीतर सम्पूर्ण धनराशि जमा कर वर्णित वाहन को प्राप्त करना आवश्यक होगा अन्यथा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

7. सामान्यतया निविदा,अधिकतम निविदा के आधार पर स्वीकार की जायेंगी किन्तु बिना कारण बताये किसी निविदा को स्वीकार /अस्वीकार करने का अधिकार उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पास सुरक्षित है।

8.अधिकतम मूल्य वाली निविदा के निविदादाता को निविदा खुलने के उपरान्त 48 घण्टे के भीतर वाहन के मूल्य की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी तभी आगे की कार्यवाही की जा सकेगी।जमानत धनराशि के अभाव में निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

9.निविदा का समस्त भुगतान किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही जमा करना अनिवार्य होगा।

10. निविदा स्वीकार्य होने पर पंजीकृत डाक से सफल निविदादाता को सूचित किया जायेगा।सूचना जारी होने की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर निविदादाता द्वारा समस्त मूल्य एवं देय कर का भुगतान कर उक्त वाहन की डिलीवरी ली जानी अनिवार्य है।अन्यथा की स्थित में निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा निविदादाता की जमानत राशि जब्त करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

11. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने एवं निविदा में उचित मूल्य प्राप्त न होने की दशा में समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

12.सफल निविदादाता द्वारा उक्त वाहन को अपने स्वामित्व/पंजीयन पर लेने बावत् सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी के यहां से प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

13. उच्चतम निविदादाता के द्वारा दी गयी जमानत धनराशि की वापसी वर्णित वाहन का मूल्य एवं सरकार द्वारा तदनुसार निर्धारित दरों पर प्रचलित जी0एस0टी0 सहित सभी देय करों का भुगतान जमा करने के पश्चात् वापस की जायेगी तद्पेरान्त निविदा में क्रय वाहन संस्तुति दी जायेगा।

14. निविदा शर्तो का पालन न करने की दशा में सफल निविदादाता की जमानत जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

15. वाहन से सम्बन्धित किसी प्रकार का टैक्स अथवा बीमा देय है तो देनदार क्रेता होगा ।

16. किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्रीय प्रबन्धक(प0क्षे0)उत्तराखण्ड वन विकास निगम रामनगर अर्बिट्रेटर होंगे जिनका निर्णय अंतिम एवं दोनो पक्षों को मान्य होगा।

17. न्यायालय विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र नैनीताल जनपद होगा।

(नाम,व हस्ताक्षर निविदा दाता)

प्रतिलिपिः– नाटिस बोर्ड खनन प्रभाग रामनगर।

प्रतिलिपिः– आई0टी0सैल उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि निविदा की शर्ते व निविदा फार्म उत्तराखण्ड वन विकास निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

(धीरेश चन्द्र बिष्ट)
प्रभागीय प्रबन्धक खनन

Scanned with CamScanner